



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4934/2026

मोहम्मद शहबाज़ उर्फ राजू

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : - हरप्रीत सिंह, गौरव ओझा

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना - गाजीपुर, जिला-लखनऊ में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8, 17 एवं 18(ग) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 148/2026 में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रार्थी के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, अर्थात् 2 किलोग्राम और 500 ग्राम अफीम बरामद होना बताया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से कम है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है और पुलिस द्वारा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान प्रार्थी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के कब्जे से 2. 20 किलोग्राम अफीम बरामद होना बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। कथित बरामदगी का कोई लोक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है और अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरिफ खान उर्फ आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य, (2018) 18 एससीसी 380 में घोषित निर्णय का आश्रय लिया है, जिसमें यह धारित किया गया है कि तलाशी और बरामदगी के संबंध में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 03.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि प्रार्थी को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि प्रार्थी उक्त अपराध करने में संलिप्त था क्योंकि उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ अर्थात् अफीम बरामद हुआ है, इसलिए प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ, अर्थात् 2.20 किलोग्राम अफीम, वाणिज्यिक मात्रा से कम है; कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र सार्वजनिक प्रत्यक्षदर्शी नहीं है; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं हुआ है; प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 03.05.2026 से जेल में निरुद्ध है।

दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपरोक्त अपराध में संलिप्त प्रार्थी- **मोहम्मद शहबाज़ उर्फ़ राजू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा;

(2) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

25 जून, 2026

एमकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।